न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

R-3817-II/16

प्रकरण कमांक –दो/2016 निगरानी

1– सुनील कुमार पुत्र कोमल सिंह यादव

2– रामेश्वर पुत्र कोमल सिंह यादव

3– श्रीमती भगवती पुत्री अछरूलाल यादव

4– श्रीमती रामदेवी पुत्री [redacted] यादव

चारों निवासी ग्राम अवास

तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

2– तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ------अनावेदकगण

(निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8 म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 16/2015-16 अ-68 में पारित आदेश दिनांक 21-6-2016 एंव 14-7-16 के विरूद्ध)

कृ0पृ030-2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3817-दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
19.12.16	यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 16/2015-16 अ-68 में पारित आदेश दिनॉक 21-6-2016 एंव 14-7-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित धारा-8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त दिनारा ने तहसीलदार करैरा को सीमांकन रिपार्ट दिनांक 29-2-16 प्रस्तुत की कि आवेदकगण ने ग्राम अवास की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1343, 1398, 1399, 1400 पर अतिकमण कर लिया है। तहसीलदार करैरा ने आवेदकगण के विरूद्व प्रकरण कमांक 16/2015-16 अ-68 पंजीबद्व किया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदकगण की सूचना उपरांत अनुपस्थित मानते हुये एकपक्षीय आदेश दिनांक 21-6-16 पारित करते हुये आवेदक सुनील पुत्र कोमल सिंह यादव ग्राम अवास पर रू. 2,00,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आदेश दिनांक 14-7-16 से खारिज कर दिया तथा आदेश दि. 21-6-16 का पालन करने के आदेश दिये। इन्हीं आदेशों से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के

अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम अवास की भूमि सर्वे नंबर 1399 रकबा 0.42 आरे, सर्वे नंबर 1343 रकबा 0.30 है., सर्वे कमांक 1400 रकबा 2.30 है. शासकीय भूमि नहीं है अपितु संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है जिसका पट्टा श्रीमती भगवती पुत्री अछरूलाल एंव श्रीमती रामदेवी पुत्री सीताराम को प्राप्त हुआ था एंव पट्टा प्राप्ति दिनांक 6-6-1972 से आज तक समस्त परिवार के सदस्य खेती करते आ रहे हैं। हलका पटवारी ने 2009-10 के वाद भूमि कब शासकीय दर्ज कर दी, आवेदकगण को पता नहीं चला और भूमि शासन की मानकर तहसीलदार करैरा ने आवेदकगण के विरूद्व धारा 248 की कार्यवाही करके आदेश दि. 21-6-16 से बेदखली आदेश दे दिया जो न्यायसंगत नहीं है । उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव तहसीलदार करैरा का आदेश दि. 21-6-16 एंव आदेश दिनांक 14-7-16 निरस्त करने की मांग करते हुये संहिता की धारा 8 के अंतर्गत भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज करने के आदेश देने की प्रार्थना की। शासन के पैनल लायर ने बताया कि जब आवेदकगण स्वयं् स्वीकार कर रहे हैं कि भूमि 2009-10 से शासकीय दर्ज है और जब आवेदकगण ने 2009-10 से भूमि वापिस अपने नाम करने की कार्यवाही नहीं की है तब वर्तमान निगरानी में उन्हें रिलीफ पाने की पात्रता नहीं है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वर्ष 1990-91 लगायत 1993-94 के खसरा पंचशाला के कालम 14 में सर्वे कमांक 1443 के सामने इस प्रकार अॅकन है -

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3817-दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश

" प्र0क्र0 298 अ 19/90-91 श्रीमान नायव तहसीलदार महो. के आदेश दि. 6-6-92 से रामदेवी पुत्री सीताराम का भूमिस्वामी व्यवस्थापन स्वीकार। "

ग्राम अवास के खसरा पंचशाला सन् 1990-91 लगायत 1993-94 के कालम नंबर 3 में सर्वे क्रमांक 1399 रकबा 0.42 आरे रामेश्वर पुत्र कोमल सिंह यादव निवासी ग्राम भूमिस्वामी है। सर्वे क्रमांक 1401 रकबा 5.49 पर मु. भुगिया आदि भूमिस्वामी दर्ज है तथा कालम नंबर 16 में भूमि में किस परिजन का कितना हिस्सा है अंकित है। ग्राम अवास के खसरा वर्ष 2004-05 लगायत 2008-09 में भूमि सर्वे क्रमांक 1400 रकबा 2.39 पर भगवती पुत्री अछरूलाल जाति यादव नि. ग्राम भूमिस्वामी अंकित है। जबकि वर्ष 2008-2009 के वाद के खसरो में भूमि मध्य प्रदेश शासन की इस प्रकार नोईयत में दर्ज है।

सर्वे नंबर	रकबा	नोईयत
1399	0.420	शासकीय
1343	0.300	,,
1398	0.590	रास्ता शासकीय
1400	2.390	चट्टान शासकीय

खसरा वर्ष 1990-91 की निरन्तरता में सन् 2008-09 तक की प्रविष्टियॉ उक्तांकित भूमि पर आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है और

आवेदक कमांक-1 आवेदक कमांक 2 से 4 का परिजन होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि होना बताया गया है। सन् 2008-09 के वाद के खसरों में बिना सक्षम राजस्व अधिकारी के पटवारी व्दारा नवीन खसरा बनाते समय आवेदकगण के नाम को खसरे के भूमिस्वामी कालम से विलोपित कर देना अधिकार-विहीन कार्यवाही है क्योंकि उक्तांकित भूमि के पटटे आवेदकगण को दिनांक 6-6-1972 को प्राप्त होना बताया गया है एंव पटवारी व्दारा आवेदकगण के नाम की भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने की कार्यवाही अधिकारिता-विहीन होने से आरंभ से ही शून्यवत् है।

2001 रा0नि0 397 रामप्यारे उर्फ प्यारे विरूद्व कमलेश तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि धारा 117 के अंतर्गत अनुमान उन्हीं प्रविष्टियों को लागू होगा जो अध्याय 9 के अंतर्गत संहिता के अंतर्गत भू अभिलेख तैयार किये जाते है। संहिता के प्रावधान और नियमों के अंतर्गत पटवारी को खसरे के रिमार्क के कालम तक में प्रविष्टि का अधिकार नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में पटवारी ने स्वस्तर से आवेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि शासकीय दर्ज करने की त्रृटि करना प्रतीत होता है जिसके कारण यह परिलक्षित है कि ग्राम अवास की भूमि सर्वे नंबर 1399 रकबा 0.42 आरे, सर्वे नंबर 1343 रकबा 0.30 है., सर्वे कमांक 1400 रकबा 2.30 है. शासकीय भूमि है अपितु आवेदकगण को सन् 1972 में पटटे पर प्राप्त होने से उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की है।

6/ जहॉ तक तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 16/2015-16 अ-68 में पारित आदेश दिनॉक 21-6-2016 का प्रश्न है उन्होंने यह आदेश आवेदकगण को

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3817–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
	सुने बिना तथा एकपक्षीय आधार पर पारित किया है जब आवेदकगण ने सुनवाई का एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर चाहे जाने हेतु संहिता की धारा 35(3) का आवेदन दिया, तहसीलदार करैरा ने आदेश दिनांक 14–7–2016 से आवेदन खारिज करते हुये आदेश दिनॉक 21–6–2016 का पालन करने का आदेश दिया है अर्थात तहसीलदार करैरा का आदेश एकपक्षीय है एंव चालू खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि पर आधारित है तथा राजस्व निरीक्षक दिनारा का प्रतिवेदन दिनांक 29–2–16 भी चालू खसरे के आधार पर है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन दूषित है । अतः तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 16/2015–16 अ–68 में पारित आदेश दिनॉक 21–6–2016 एंव आदेश दिनांक 14–7–16 वास्तविक स्थिति पर आधारित न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
	7/ प्रकरण में प्रस्तुत खसरा प्रतिलिपियों अनुसार ग्राम अवास की भूमि सर्वे नंबर 1399 रकबा 0.42 आरे, सर्वे नंबर 1343 रकबा 0.30 है., सर्वे क्रमांक 1400 रकबा 2.30 है. वर्ष 1998–99 तक में आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 भूमिस्वामी दर्ज रहे हैं । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 के अनुसार भू अभिलेखों की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब

तक कि तत्प्रतिकूल सावित न कर दिया जाय। रामदयाल विरूद्व गुलजार सिंह 1970 राजस्व निर्णय 296 का दृष्टांत है कि खसरा की प्रविष्टि अखण्डित है और उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा, जबकि तहसीलदार करैरा ने आदेश दिनांक 21-6-2016 पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही पुराने अभिलेख को देखा है उनका आदेश राजस्व निरीक्षक के चालू खसरे के मान से प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आधारित है जिसके कारण तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 16/2015-16 अ-68 में पारित आदेश दिनॉक 21-6-2016 एंव आदेश दिनांक 14-7-16 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 16/2015-16 अ-68 में पारित आदेश दिनॉक 21-6-2016 एंव आदेश दिनांक 14-7-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार करैरा के आदेश दिये जाते हैं कि रामेश्वर पुत्र कोमल सिंह यादव का भूमि सर्वे कमांक 199 रकबा 0.42 आरे पर, श्रीमती भगवती पुत्री अछरूलाल का भूमि सर्वे कमांक 1400 रकबा 2.39 पर एंव श्रीमती रामदेवी पुत्री सीताराम का सर्वे कमांक 1343 रकबा 0.30 आरे पर पूर्ववत् भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में नाम इन्द्राज किया जावे।

सदस्य